

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:- 6/वि01-1030/2025-

958

पटना-15, दिनांक:- 22.5.25

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुखाड़ की स्थिति एवं जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजलापूर्ति व्यवस्था हेतु 450 अदद चापाकलों के निर्माण हेतु रू0 461.850 लाख (चार करोड़ एकसठ लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश- राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुखाड़ की स्थिति एवं जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजलापूर्ति व्यवस्था हेतु 450 अदद चापाकलों के निर्माण हेतु रू0 461.850 लाख (चार करोड़ एकसठ लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की राशि पर राज्य योजना मद के अंतर्गत योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजटीय उपबंध अंतर्गत

- (i) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0103-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)-विपत्र कोड-36-4215011020103-विषय शीर्ष-0103.53.01-मुख्य निर्माण कार्य
- (ii) मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या- 36-उपशीर्ष-0111- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)-विपत्र कोड-36-4215017890111-विषय शीर्ष-0111.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

3. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल होंगे। योजना पर हाने वाला व्यय स्वीकृति राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. योजना क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

6. इस योजना को 04 (चार) माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुखाड़ की स्थिति एवं जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजलापूर्ति व्यवस्था हेतु संभावित पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु नये चापाकलों का निर्माण किया जाना है।

8. इस योजना अंतर्गत चापाकलों के निर्माण स्थल चयन में जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर मतदान केन्द्रों, विद्यालयों, एस0सी0-एस0टी0 बसावटों तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना है।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का क्रियान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अंतर्गत किया जा सकता है।

10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित क्रियान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।



11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि (2), दिनांक-03.01.2008 एवं संकल्प संख्या-एम4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03-12-2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

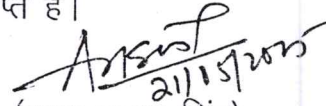
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में इस योजना के स्वीकृति की अनुशंसा दिनांक-14.05.2025 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गयी है।

17. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

18. वर्ष 2025-26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

19. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

  
(अभय कुमार सिंह)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक-6/वि01-1030/2025- 358 पटना-15, दिनांक:- 22.5.25

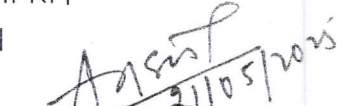
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/ दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) /अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/बजट पदाधिकारी/उप निदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/ प्रशाखा-6/ कार्यवाह सहायक-6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुंगेर/गया/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बांका/बाराहाट/जमुई/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रधान सचिव के प्र0 आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अभय कुमार सिंह)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)